7. भारत की जनसंख्या

भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत ही हैं इस प्रकार विश्व में जनंसख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (न्छथ्च्।) द्वारा जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, 2004 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.53 अरब हो जाएगी और तब भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक है जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 8.9 अरब हो जाएगी। भारत की 2011 की जनगणना वर्ष 1872 के वाद हुई 15वीं जनगणना है।

जनगणना 2011 जनसंख्या, लिंगानुपात एंव शिशु लिंगानुपात (अन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	जनसंख्या 2011			लिंगानुपात		शिशु लिंगानुपात (0-6 आयु समूह की जनसंख्या)	
		जनसंख्या	पुरुष	स्त्रियाँ/महिलाएँ	2001	2011	2001	2011
1.	जम्मू एवं कश्मीर	1,25,41,302	66,40,662	15,67,057	892	889	941	859
2.	हिमाचल प्रदेश	68,64,602	34,81,873	3,17,024	968	972	896	906
3.	पंजाब	2,77,43,338	1,46,39,465	48,53,157	876	895	798	846
4.	चण्डीगढ़	10,55,450,	5,80,663	4,62,946	777	818	845	867
5.	उत्तराखण्ड	1,00,86,292	51,37,773	14,30,607	962	963	908	886
6.	हरियाणा	2,53,51,462	1,34,94,734	41,21,375	861	879	819	830
7.	दिल्ली	1,67,87,941	89,87,326	76,07,894	821	868	868	866
8.	राजस्थान	6,85,48,437	3,55,50,997	81,38,835	921	928	909	883
9.	उत्तर प्रदेश	19,98,12,341	10,44,80,510	2,10,07,548	898	912	916	899
10.	बिहार	10,40,99,452	5,42,78,157	55,53,709	919	918	942	933
11.	सिक्किम	6,10,577	3,23,070	73,305	875	890	963	944
12.	अरुणाचल प्रदेश	13,83,727	7,13,912	1,49,468	893	938	964	960
13.	नागालैण्ड	19,78,502	10,24,649	2,71,789	900	931	964	944
14.	मणिपुर	25,70,390	12,90,171	4,2,452	974	992	957	934
15.	मिजोरम	10,97,206	5,55,339	2,85,567	935	976	964	971
16.	त्रिपुरा	36,73,917	18,74,376	4,74,250	948	960	966	953
17.	मेघालय	29,66,889	14,91,832	2,97,878	972	989	973	970
18.	असोम	3,12,05,576	1,59,39,443	21,38,088	935	958	965	957
19.	पश्चिम बंगाल	9,12,76,115	4,68,09,027	1,41,28,920	934	950	960	950
20.	झारखण्ड	3,29,88,134	1,69,30,315	37,79,232	341	948	965	943
21.	ओडिशा	4,19,74,218	2,12,12,136	33,77,723	972	979	953	934
22.	छत्तीसगढ़	2,55,45,198	1,28,32,895	29,01,768	989	991	975	964

23. मध्य प्रदेश	7,26,26,809	3,76,13,306	96,06,487	972	931	953	934
24. गुजरात	6,04,39,692	3,14,91,260	1,20,52,982	920	919	883	886
25. दमन एवं दीव	2,43,247	1,50,301	64,945	710	618	926	909
26. दादर एवं नागर हवेली	3,43,709	1,93,760	65,140	812	774	979	924
27. महाराष्ट्र	11,23,74,333	5,82,43,056	2,41,14,237	922	929	913	883
28. आन्ध्र प्रदेश	8,45,80,777	4,24,42,146	1,40,20,170	978	993	961	943
29. कर्नाटक	6,10,95,297	3,09,66,657	1,15,88,659	978	973	961	943
30. गोवा	14,58,545	7,39,140	4,43,110	961	973	938	920
31. लक्षद्वीप	64,473	33,123	24,452	948	946	959	908
32. केरल	3,34,06,061	1,60,27,412	83,15,568	1,058	1,084	960	959
33. तमिलनाडु	7,21,47,030	3,61,37,975	1,74,58,530	987	996	942	946
34. पुदुचेरी	12,47,953	6,12,511	4,35,149	1,001	1,037	967	965
35. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3,80,581	2,02,871	66,904	846	876	957	966
भारत	**1,21,05,69,573**	**62,31,21,843**	**58,16,16,925**	**933**	**943**	**927**	**919**

लिंगानुपात के अनुसार जनगणना 2001 तथा 2011 में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की तुलनात्मक स्थिति

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	**2001**	**राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश**	**2011**
केरल	1,058	केरल	1,084
पुदुचेरी	1,001	पुदुचेरी	1,038
छत्तीसगढ़	989	तमिलनाडु	995
तमिलनाडु	987	आन्ध्र प्रदेश	992
आन्ध्र प्रदेश	978	छत्तीसगढ़	991
मणिपुर	974	मणिपुर	987
मेघालय	972	मेघालय	986
ओडिशा	972	ओडिशा	978
हिमाचल प्रदेश	968	मिजोरम	975
कर्नाटक	965	हिमाचल प्रदेश	974
उत्तराखण्ड	962	कर्नाटक	968
गोवा	961	गोव	968
त्रिपुरा	948	उत्तराखण्ड	963
लक्षद्वीप	948	त्रिपुरा	961
झारखण्ड	941	असोम	954
मिजोरम	935	झारखण्ड	947
असोम	935	पश्चिम बंग	947
पश्चिम बंगाल	934	लक्षद्वीप	946
महाराष्ट्र	922	नागालैण्ड	931

राजस्थान	921	मध्य प्रदेश	930
गुजरात	920	राजस्थान	926
बिहार	919	महाराष्ट्र	925
मध्य प्रदेश	919	अरुणाचल प्रदेश	920
नागालैण्ड	900	गुजरात	918
उत्तर प्रदेश	898	बिहार	916
अरुणाचल प्रदेश	893	उत्तर प्रदेश	908
जम्मू एवं कश्मीर	892	पंजाब	893
पंजाब	876	सिक्किम	889
सिक्किम	875	जम्मू एवं कश्मीर	883
हरियाणा	861	अण्डमान व नि. द्वीपसू.	878
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	846	हरियाणा	877
दिल्ली	821	दिल्ली	866
दादर एवं नागर हवेली	812	चण्डीगढ़	818
चण्डीगढ़	777	दादर एवं नागर हेवली	775
दमन एवं दीव	710	दमन एवं दीव	618
भारत	**933**	**भारत**	**943**

शिशु लिंगानुपात

शिशु लिंगानुपात के अनुसार राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग घटते क्रम में

रैंक	राज्य/	शिशु	रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	शिशु लिंगानुपात
1	मिजोरम	971	2	मेघालय	970
3	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	966	4	पुदुचेरी	965
5	छत्तीसगढ़	964	6	अरुणाचल प्रदेश	960
7	केरल	959	8	असोम	957
9	त्रिपुरा	953	10	पश्चिम बंग	950
11	तमिलनाडु	946	12	सिक्किम	944
13	नागालैण्ड	944	14	झारखण्ड	943
15	आन्ध्र प्रदेश	943	16	कर्नाटक	943
17	मणिपुर	934	18	ओडिशा	934
19	बिहार	933	20	दादर एवं नागर हेवली	924
21	गोवा	920	22	मध्य प्रदेश	912
23	दमन एवं दीव	909	24	लक्षद्वीप	908
25	हिमाचल प्रदेश	906	26	उत्तर प्रदेश	899
27	उत्तराखण्ड	886	28	गुजरात	886
29	राजस्थान	883	30	महाराष्ट्र	883
31	चण्डीगढ़	867	32	दिल्ली	866

33	जम्मू. एवं कश्मीर	859	34	पंजाब	846
35	हरियाणा	830		**भारत**	914

साक्षरता दर

भारत में किसी व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब उसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह किसी भी भाषा को समझकर लिखना और पढ़ना दोनों कर सके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की साक्षरता दर, 74.04 प्रतिशत थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत थी। साक्षरता में हुए सुधारों के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्रमानुसार स्थिति अग्र सारणी में देखी जा सकती है।

जनगणना 2011 पुरुष साक्षरता के आधार पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग (घटते क्रम में)

रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर	रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर
1	लक्षद्वीप	96.11	2	केरल	96.02
3	मिजोरम	93.72	4	गोवा	92.81
5	त्रिपुरा	92.18	6	पुदुचेरी	92.12
7	दमन एवं दीव	91.48	8	रा.र.क्षे. दिल्ली	91.03
9	हिमाचल प्रदेश	90.83	10	चण्डीगढ़	9054
11	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह.	90.11	12	महाराष्ट्र	89.82
13	उत्तराखण्ड	88.33	14	सिक्किम	87.29
15	गुजरात	87.23	16	तमिलनाडु	86.81
17	मणिपुर	86.49	18	दादर एवं नागर हवेली	86.46
19	हरियाणा	85.38	20	नागालैण्ड	83.29
21	कर्नाटक	82.85	22	पश्चिम बंग	82.67
23	ओडिशा	82.40	24	पंजाब	81.48
25	छत्तीसगढ़	81.45	26	मध्य प्रदेश	80.53
27	राजस्थान	80.51	28	उत्तर प्रदेश	79.24
29	असोम	78.81	30	झारखण्ड	78.45
31	जम्मू एवं कश्मीर	78.26	32	मेघालय	77.17
33	आन्ध्र प्रदेश	75.56	34	अरुणाचल प्रदेश	73.69
35	बिहार	73.39		**भारत**	**82.14**

जनगणना 2011 महिला साक्षरता के आधार पर राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग (घटते क्रम में)

रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर	रैंक	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर
1	केरल	91.98	2	मिजोरम	89.40
3	लक्षद्वीप	88.25	4	त्रिपुरा	83.15
5	गोवा	81.84	6	अण्डमान और निकोबार द्वीप समू.	81.84
7	चण्डीगढ़	81.38	8	पुदुचेरी	81.22
9	रा.र.क्षे. दिल्ली	80.93	10	दमन एवं द्वीप	79.59
11	नागालैण्ड	76.69	12	हिमाचल प्रदेश	76.60
13	सिक्किम	76.43	14	महाराष्ट्र	75.48
15	तमिलनाडु	73.86	16	मेघालय	73.78

17 मणिपुर	73.17	18	पंजाब	71.34
19 पश्चिम बंगाल	71.16	20	गुजरात	70.73
21 उत्तराखण्ड	70.70	22	कर्नाटक	68.13
23 असोम	67.27	24	हरियाणा	66.77
25 दादर एवं नागर हवेली	65.93	26	ओडिशा	64.36
27 छत्तीसगढ़	60.59	28	मध्य प्रदेश	60.62
29 आन्ध्र प्रदेश	59.54	30	अरुणाचल प्रदेश	59.57
31 उत्तर प्रदेश	59.26	32	जम्मू एवं कश्मीर	58.01
33 झारखण्ड	56.21	34	बिहार	53.33
35 राजस्थान	52.66		**भारत**	**65.46**

जनगणना 2011 राज्यों में केन्द्रशासित प्रदेशों में व्यक्तियों की साक्षरता दर (घटते क्रम में)

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सा. दर	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सा. दर
केरल	93.91	गुजरात	79.31
लक्षद्वीप	92.28	दादर एवं नागर हवेली	77.65
मिजोरम	91.58	पश्चिम बंगाल	77.08
त्रिपुरा	87.75	पंजाब	76.68
गोवा	87.40	हरियाणा	76.64
दमन और दीव	87.04	कर्नाटक	75.60
पुदुचेरी	86.55	मेघालय	75.48
चण्डीगढ़	86.43	ओडिशा	73.45
दिल्ली	86.34	असोम	73.18
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.27	छत्तीसगढ़	71.04
		मध्य प्रदेश	70.63
हिमाचल प्रदेश	83.78	उत्तर प्रदेश	69.72
महाराष्ट्र	82.91	जम्मू एवं कश्मीर	68.74
सिक्किम	82.20	आन्ध्र प्रदेश	67.66
तमिलनाडु	80.33	झारखण्ड	67.63
नागालैण्ड	80.11	राजस्थान	67.06
मणिपुर	79.85	अरुणाचल प्रदेश	66.95
उत्तराखण्ड	79.63	बिहार	63.82

भारत की प्रभावी साक्षरता दर (2001-11)

	2001	2011	अन्तर
व्यक्ति	64.83	74.04	9.2
पुरुष	75.26	82.14	6.9
महिलाएँ	53.67	65.46	11.8

- वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में साक्षर जनसंख्या में 38.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011 की जनगणना में पुरुष तथा महिला से महिलाओं की साक्षर जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि अधिक रही।
- सर्वाधिक पुरुष-स्त्री साक्षरता दर में अन्तर वाला राज्य राजस्थान है, जबकि न्यूनतम अन्तर मिजोरम में है।
- योजना आयोग ने वर्ष 2011-12 तक 10 राज्यों में 85 प्रतिशत से ऊपर तक लक्ष्य रखा जिसे प्राप्त कर लिया गया है।

कुल प्रजनन दर

इस दर से तात्पर्य किसी महिला द्वारा अपने सम्पूर्ण प्रजनन काल में जन्म दिए जाने वाले शिशुओं की औसत संख्या से है। देश में जनसंख्या स्थिरता के लिए इस दर को 2.1 तक लाना है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में, 2010 तक कुल प्रजनन दर को रिप्लेसमेण्ट लेवल (2.1) तक लाने का लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च प्रजनन दर वाले राज्य (2010 की स्थिति)

राज्य	कुल प्रजनन दर
बिहार	3.7
उत्तर प्रदेश	3.5
मध्य प्रदेश	3.2
राजस्थान	3.1
झारखण्ड	3.0

न्यूनतम प्रजनन दर वाले राज्य (2010 की स्थिति)

राज्य	कुल प्रजनन दर
तमिलनाडु	1.7
पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल	1.8
महाराष्ट्र	1.9
दिल्ली	1.9

जनगणना 2011 ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या

जनसंख्या

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	कुल जनसंख्या	ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत
1.	जम्मू एवं कश्मीर	12,548,926	9,134,820	3,414,106	27.21
2.	हिमाचल प्रदेश	6,856,509	6,167,805	688,704	10.04
3.	पंजाब	27,704,236	17,316,800	10,387436	37.49
4.	चण्डीगढ़	1,054,686	29,004	1,025,682	97.25
5.	उत्तराखण्ड	10,116,752	7,025,583	3,091,169	30.55
6.	हरियाणा	25,353,081	16,531,493	8,821,588	34,79
7.	दिल्ली	16,753,235	419,319	16,333,916	97.50
8.	राजस्थान	68,621,012	51,540236	17,080,766	24.89
9.	उत्तर प्रदेश	199,581,477	155,111,022	44,470,455	22.28
10.	बिहार	103,804,637	92,075,028	11,729,609	11.30
11.	सिक्किम	607,688	455,962	151,726	24.97
12.	अरुणाचलप्रदेश	1,382,611	1,069,165	313,446	22.67
13.	नागालैण्ड	1,980,602	1,406,861	573,741	28.97
14.	मणिपुर	2,721,756	1,899,624	822,132	30.21
15.	मिजोरम	1,091,014	529,037	561,977	51.51

16. त्रिपुरा	3,671,032	2,710,051	960,981	26.19
17. मेघालय	2,964,007	2,368,971	595,036	20.08
18. असोम	31,347,736	26,780,516	4,388,756,	14.08
19. पश्चिम बंग	91,347,736	62,213,676	29,134,060	31.89
20. झारखण्ड	32,966,238	25,036,946	7,929,292	24.05
21. ओडिशा	41,947,358	24,951,234	6,996,124	16.68
22. छत्तीगसढ़	25,540,196	19,603,658	5,936,538	23.24
23. मध्य प्रदेश	72,597,565	52,537,899	20,059,666	27.63
24. गुजरात	60,383,628	34,670,817	25,712,811	42.58
25. दमन और दीव	242,911	60,331	182,580	75.16
26. दादर एवं नागर हवेली	342,853	183,024	159,829	46.62
27. महाराष्ट्र	112,372,972	61,545,441	50,827,531	45.23
28. आन्ध्र प्रदेश	84,665,533	56,311,788	28,353,745	33.49
29. कर्नाटक	61,130,704	37,552,529	23,578,175	38.57
30. गोवा	1,457,723	551,414	906,309	63.17
31. लक्षद्वीप	64,429	14,121	50,308	78.08
32. तमिलनाडु	33,387,677	17,455,506	15,923,171	47.72
33. तमिलनाडुं	72,138,958	37,189,229	34,949,729	48.45
34. पुदुचेरी	1,224,464	394,341	850,123	68.31
35. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	379,944	244,411	135,533	35.67

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले

- माहे (पुदुचेरी) 1,176
- अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) 1,142

न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले

- दमन (दमन एवं दीव) 533
- लेह (जम्मू एवं कश्मीर) 583

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य (0-6 वर्ष)

- मिजोरम 971
- मेघालय 970

न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य (0-6 वर्ष)

- हरियाणा 830
- पंजाब 846

सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले (0-6 वर्ष)

- लाहौल व स्पीति (हिमाचल प्रदेश) 1013
- तवांग (अरुणाचल प्रदेश) 1003

न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले (0-6 वर्ष)

- झज्जर (हरियाणा) 774
- महेन्द्रगढ़ (हरियाणा) 774

सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य/प्रदेश

- केरल 93.917:
- लक्षद्वीप 92.28:

न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य/प्रदेश

- बिहार 63.82:
- अरुणाचल प्रदेश 66.95:

सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले

- सरविप (मिजोरम) 98.76:
- आइजोल (मिजोरम) 93.50:

न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले

- अलीराजपुर (मध्य प्रदेश) 37.22:
- बीजापुर (छत्तीसगढ़) 41.58:

सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य/प्रदेश

- दिल्ली 11,297 प्रति वर्ग किमी
- चण्डीगढ़ 9,252 प्रति वर्ग किमी

सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले

- उत्तरी-पूर्व, दिल्ली 37,346 प्रति वर्ग किमी
- चेन्नई, तमिलनाडु, 26,903 प्रति वर्ग किमी

नोट : प्रदेश से सम्बध केन्दशति प्रदेश है।

न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य/प्रदेश

- अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
- अण्डमान एवं निकोबार 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले

- दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
- सम्बा, जम्मू एवं कश्मीर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी

लिंगानुपात 2011

लिंगानुपात शब्द में आशय है कि प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कितनी है। इससे एक निश्चित समय पर देश में स्त्री-पुरुष के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। देश में लिगानुपात 20वीं शताब्दी के आरम्भ से ही प्रतिकूल रहा है। जहाँ वर्ष 1901 में यह आँकड़ा 972 था, वहीं वर्ष 1991 में यह 926 और वर्ष 2001 में 933 तथा वर्ष 2011 में बढ़कर 940 हो गया, जो यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में और सुधार होगा।

- वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश हैं क्रमशः बांग्लादेश (978), रूस (1055), ब्राजील (1042), अमेरिका (1025), इण्डोनेशिया (988)
- वर्ष 2011 के जनगणना में 0-6 वर्ष के आयु वर्ग लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में कमी आयी है। सर्वाधिक कमी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में दर्ज की गई (-82)।
- 2011 के जनगणना में 0-6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 914 है।
- सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य मिजोरम (971) है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा है।

लिंगानुपात के अनुसार जनगणना 2001 तथा 2011 में राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की तुलनात्मक स्थिति

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2001	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	2011
केरल	1,058	केरल	1,084
पुदुचेरी	1,001	पुदुचेरी	1,038
छत्तीसगढ़	989	तमिलनाडु	995
तमिलनाडु	987	आन्ध्र प्रदेश	992
आन्ध्र प्रदेश	978	छत्तीसगढ़	991
मणिपुर	974	मणिपुर	987
मेघालय	972	मेघालय	986
ओडिशा	972	ओडिशा	978
हिमाचल प्रदेश	968	मिजोरम	975
कर्नाटक	965	हिमाचल प्रदेश	974
उत्तराखण्ड	962	कर्नाटक	968
गोवा	961	गोव	968
त्रिपुरा	948	उत्तराखण्ड	963
लक्षद्वीप	948	त्रिपुरा	961
झारखण्ड	941	असोम	954
मिजोरम	935	झारखण्ड	947
असोम	935	पश्चिम बंग	947

पश्चिम बंगाल	934	लक्षद्वीप	946
महाराष्ट्र	922	नागालैण्ड	931
राजस्थान	921	मध्य प्रदेश	930
गुजरात	920	राजस्थान	926
बिहार	919	महाराष्ट्र	925
मध्य प्रदेश	919	अरुणाचल प्रदेश	920
नागालैण्ड	900	गुजरात	918
उत्तर प्रदेश	898	बिहार	916
अरुणाचल प्रदेश	893	उत्तर प्रदेश	908
जम्मू एवं कश्मीर	892	पंजाब	893
पंजाब	876	सिक्किम	889
सिक्किम	875	जम्मू एवं कश्मीर	883
हरियाणा	861	अण्डमान व नि. द्वीपसू.	878
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	846	हरियाणा	877
दिल्ली	821	दिल्ली	866
दादर एवं नागर हवेली	812	चण्डीगढ़	818
चण्डीगढ़	777	दादर एवं नागर हेवली	775
दमन एवं दीव	710	दमन एवं दीव	618
भारत	**933**	**भारत**	**943**

राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद्

राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् की स्थापना वर्ष 1969 में की गई। जनसंख्या नीति को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1969 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया गया था। उक्त सम्मेलन में एक राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् की स्थापन का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव में जनसंख्य नीति के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने वाले तत्वों की रूपरेखा इस प्रकार निश्चित की गई थी।

- अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया को अपनाना
- देश की मानवीय संसाधनों की उत्पादन क्षमता तथा उसके गुणों का पता लगाना।
- जनता के जनसंख्या नीति के कार्यक्रमों में सम्मिलित करने के लिए जनस्वास्थ्य एवं संचार की व्यापक व्यवस्था करना।
- क्षेत्रों तथा उपक्षेत्रो के लिए उपयुक्त जन्म-दर तथा मृत्यु-दर का निर्धारण करना।
- परिवार नियोजन कार्यक्रमों में ऐच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कॉलेज स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को प्रारम्भ करना।
- परिवार नियोजन के कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों का सहारा लेना।
- परिवार कल्याण कार्यक्रम को चिकित्सालय के स्थान पर सामाजिक कल्याण का आधार प्रदान करना।
- पौष्टिक आहार कार्यक्रम तथा शिशु पालन को प्राथमिकता प्रदान करना।

भारत-चुनिंदा स्वास्थ्य संकेतक

क्र.	मानदंड	1981	1991	वर्तमान स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (सीबीआर) (प्रति 1000 आबादी)	33.9	29.5	21.8 (2011')
2.	अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) (प्रति 1000 आबादी)	12.5	9.8	7.1 (2011')
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (प्रति महिला)	4.5	3.6	2.5 (2010')

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

4. मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	–	–	212 (2010')
5. शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 100 जीवित जन्म)	110	80	44 (2011')
			ग्रामीण 48
			शहरी 29
6. बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	13.3 (2010)''
7. जन्म पर जीवन प्रत्याशा	(1981.85)	(1989.93)	(2006.10)'',
कुल	55.4	59.4	66.1
पुरूष	55.4	59.0	64.6
महिला	55.7	59.7	67

सामाजिक-आर्थिक व जाति जनगणना का शुभारम्भ

स्वाधीनता के बाद भारत में पहली बार सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 2011 की शुरूआत 20 जून, 2011 को त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले में हेजमारा खण्ड के संखोला गांव में हुई।

इससे देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (ठमसवू च्वअमतजल स्पदम.ठच्स्) की पहचान की जा सकेगी।

किसी भी लक्ष्यगत पहुंच के लिए, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सबसे महत्वपूर्ण है। इस पहुंच के अनुरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में वीपीएल गणना विधितंत्र देन हेतु डा. एन.सी. सक्सेना समिति गठित की गई थी। जून 2011 में, पहली बार ग्रामीण तथा शहरी भारत में व्यापक घर-घर जाकर आकलन करने के जरिए, सामाजिक आर्थिक तथा जाति गणना (एसईसीसी) के माध्यम से विभिन्न जातियों और वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा शैक्षणिक स्थिति पर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। यह प्रक्रिया सही लाभार्थियों हेतु लक्ष्यगत सरकारी योजनाओं की अच्छी तरह से मदद करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र लाभार्थी कवर किए गए हैं जबकि सभी अपात्र लाभार्थियों को छोड़ दिया गया है। सबसे अधिक वंचित पाए गए परिवारों को सरकारी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सबसे अधिक समावेशी प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। विभिन्न लाभदायिक सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में आधार संख्या का प्रयोग द्वैधता को रोकेगा।

एसईसीसी 2011 भारत सरकार की तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के साथ संबंधित राज्यों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक साथ आयोजित की जा रही है। मूल्यांकन 6 लाख मूल्यांककों द्वारा किया जाएगा जिनकी सहायता इतने ही तकनीकी रूप से योग्य तथा कंप्यूटर साक्षर डाटा प्रविष्ट प्रचालकों (डीईओ) द्वारा की जाएगी, और इनका चयन देश की प्रमुख आईटी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के पंजीयक के कार्यालय (आरजीआई) तथा राज्यों के साथ मूल्यांककों, पर्यवेक्षकों, सत्यापनकर्ताओं तथा गणना प्रक्रिया में रत राज्यों कर्मचारियों को अंतिम रूप देने से पहले, परिवार के आंकड़े, जाति संबंधी आंकड़ों के अलावा, छानबीन के लिए लोगों के बीच रखे जाएंगे तथा 'दावों और आपत्तियों' की अवस्था में दो स्तरीय अपील पद्धतियों से गुजरेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम सभा भी विशेष रूप से आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से आंकड़ों की छानबीन करेगी। एसईसीसी 2011 के अंतर्गत मूल्यांकन 2,339,926 मूल्य के खंडों में पूरा कर लिया गया है जिसमें 31 दिसम्बर, 2012 तक की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों के कुल मूल्यांकन खंडों का 94.26 प्रतिशत शामिल है। सरकार ने प्रो. अभिजीत सेन, खाद्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है ताकि एसईसीसी संकेतकों तथा आंकड़ों से विश्लेषण की जांच की जा सके तथा विभिन्न प्रामीण क्रियाकलापों के लिए लाभार्थियों के वर्ग निर्धारित करने हेतु उपर्युक्त विधि तंत्रों की सिफारिश भी की है। सरकार इन विधि तंत्रों को अपनाते समय राज्यों, विशेषज्ञों तथा नागरिक समिति संगठनों के विचार-विमर्श करेगी।

भारत में जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा कमी लाने के उपाय : जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी लाना तथा उसका नियंत्रण जनसंख्या नीति के विभिन्न उद्देश्यों में से एक है जनसंख्या नीति की व्याख्या अलग से आगे की गयी है जिसमें इस दिशा में भारत में किये गये प्रयासों की चर्चा की गयी है पर यहां हम संक्षिप्त रूप में उन उपायों का उल्लेख कर रहे है जिनके द्वारा किसी देश में जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है, ये वे उपाय है जिनको विभिन्न जनंसख्या आधिक्य वाले देशों जैसे चीन, श्रीलंका, मलेशिया आदि में प्रयोग में लाया गया है। ये हैं

(i) **शिक्षा का विस्तार :** सभी यह मानते हैं कि शिक्षा का विस्तार, विवाह, परिवार नियोजन के प्रति जागरुकता

पैदा करने वाला अकेला कारक है। शिक्षा का विस्तार जहां एक ओर लोगों में व्याप्त सामाजिक तथा धार्मिक अवरोध को दूर करेगा वहीं लड़कियों में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। शिक्षा लोगों की सोच को विस्तृत करत है उनमें वह शक्ति देती है जिससे वे परिवार नियोजन की अच्छाइयों तथा जटिलताओं को समझ सकें। इसलिए यह आवश्यक है शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों में शिक्षा का विस्तार किया जाए।

(ii) **विवाह की न्यूनतम आयु में प्रभावी वृद्धि :** वैसे 1978 में चाइल्ड मैरेज रिस्ट्रेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत कानूनी पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा स्त्रियों के सम्बन्ध में 18 वर्ष कर दी गयी है पर यह प्रयोग में नहीं लाया जा सका है। पर कानूनी व्यवस्था की अनभिज्ञता, लड़कियों की असुरक्षा काभय, जन्म के रजिस्ट्रेशन की पर्याप्त व्यवस्था के अभाव के कारण न्यूनतम वैधानिक उम्र की व्यवस्था अप्रभावी है। पर इसका क्रियान्वयन आवश्यक है। लंका, मलेशिया, चीन आदि देशों में जनसंख्या के नियंत्रण में विवाह की न्यूनतम आयु के प्रभावीरूप से लागू होने ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

(iii) समाज में लड़कियों तथा स्त्रियों के स्थान तथा उनके सम्मान के प्रति लोगों में चेतना पैदा करके लिंगिक भेद को कम या समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान स्त्री सशक्तीकरण के सम्बन्ध में सरकार ने अनेक व्यवस्थायें की हैं पर अब भी दोनों लिगों के बीच भेदभाव, लड़कियों की तुलना में लड़कों को परिवार में वरीयता समाज में, विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान है जो बड़े परिवार का कारण बनता है।

SITA : सप्रेशन फार इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट फार गर्ल्स एण्ड वीमेन, अनैतिक देह व्यापार से सम्बन्धित यह अधिनियम 1978 में आया।

(iv) **औद्योगीकरण को बढ़ावा तथा कृषिक्षेत्र का यंत्रीकरण :** ऐसा पाया गया है कि उत्पादन प्रक्रिया जितनी ही श्रम गहन होगी, जैसा सामान्यतया कृषि क्षेत्र में पाया जाता है तो सस्ते श्रम की प्राप्ति के लिए लोग जनसंख्या में वृद्धि के लिए प्रेरित होते हैं। कृषि क्षेत्र का यंत्रीकरण तथा देश में औद्योगीकरण परिवार के आकार के सम्बन्ध लोगों के विचार में परिवर्तन लाता है। इसके साथ लोग यह महसूस करने लगते हैं कि रोजगार पाना अत्यन्त ही कठिन होता है तथा परिवार जितना ही बड़ा होगा परिवार की दिक्कतें बढ़ेगी।

(v) **रोजगार तथा आय में वृद्धि तथा गरीबी में कमी लाना :** अनेक अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि की है गरीबी तथा आय में कमी की स्थिति में परिवार के आकार में वृद्धि होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रोजगार के अवसर, सामान्यरूप से तथा स्त्रियों के लिए विशेषरूप से, सृजित किये जायें।

(vi) **नगरीकरण का विस्तार :** ऐसा देखा गया है कि नगरीकरण जितना बढ़ता है आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था आदि बहुत मंहगी होती जाती है। इसलिए लोग छोटा परिवार रखने के लिए बाध्य हो जाते है।

(vii) **परिवार नियोजन :** किसी पूर्व निश्चित या निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत परिवार के आकार को नियोजितरूप से कम रखने के कार्यक्रमों तथा उपायों को हम परिवार नियोजन कहते है। परिवार नियोजन केवल गर्भ निरोधकों (Contraceptives) तक सीमित नहीं है, यद्यपि गर्भ निरोधक इसके महत्त्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग है। परिवार नियोजन अधिक व्यापक धारणा है जिसमें गर्भ निरोधकों तथा परिवार के आकार को नियमित करने वाले उपायों के अतिरिक्त स्वास्थ्य, सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सभी उपाय सम्मिलित है जो परिवार कल्याण से सम्बन्धित है। सभी यह स्वीकार करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण का यह सबसे प्रभावी तरीका है जो उन सभी देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया है। चीन, लंका आदि देशों में जहां परिवार नियोजन सफल हुआ है। वहां गर्भ निरोधकों के प्रयोग की दर बहुत ऊंची रही है। 1990-98 की अवधि में जहां गर्भ निरोधकों के प्रयोग की दर चीन में 85% रही, जबकि इसी अवधि में भारत में यह दर केवल 41% रही, जबकि लंका में यह दर 62% रही। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन में जन्मदर घटकर प्रति हजार 12 लंका में घटकर 19 तथा भारत में अब भी 24 है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता लोगों में परिवार के छोटे आकार के लाभ, गर्भ निरोधकों तथा सन्तति निग्रह के उपायों के सम्बन्ध में लोगों में चेतना पैदा करती है। इसकी सफलता बहुत

अधिक इससे सम्बन्धित सूचनाओं के विस्तार, गर्भ निरोधकों की बिना कीमत या अत्यन्त ही कम मूल्य पर उपलब्धता सरकार द्वारा परिवार नियोजन को अपनाने वालों को प्रत्यक्षत पर परोक्ष प्रेरणा या रियायतों, परिवार नियोजन से सम्बन्धित सुविधाओं तथा सावध ानियों को मुहैया कराने पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

11 मई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। जनसंख्या आयोग के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किया गया था। आयोग के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वित्तमंत्री, गृहमंत्री, संसद के दोनों सदन के नेता विपक्ष को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी जनसंख्या आयोग के पदेन सदस्य है। इसके अतिरिक्त प्रमुख समाजशास्त्री, जनांकिकी विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई, 2000 को हुई थी जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का प्रस्ताव किया गया था।

जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

22 जुलाई, 2000 को जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन की घोषणा की गई। जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।

प्रधानंत्री ने योजना आयोग के माध्यम से इसके लिए ` 100 करोड़ प्रारम्भिक पूंजी के रूप में उपलब्ध कराया है। सामान्य जनों एवं निगमों को इस कोष में धन जमा कराने के लिए प्रेरित करने हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं।

विशिष्ट पहचान संख्या (UID) का आवंटन शुरू

देश के सभी नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या (UID : Unique Identification Number) आवंटित करने की केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी आधार परियोजना का शुभारम्भ सितम्बर, 2010 में हो गया है। इस परियोजना के तहत पहला विशिष्ट पहचान नम्बर महाराष्ट्र के नन्दूरबार जिले के तेभली (Tembhili) गांव की एक आदिवासी महिला रंजना सोनावने का 29 सितम्बर, 2010 को जारी किया गया।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं तेभली गांव में रंजना सोनावने व नौ अन्य लोगों को 12-12 अंकों के यह नम्बर आवंटित किए। भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (न्क्।प्) के अध्यक्ष नन्दन निलेकणि भी इस अवसर पर तेंभली में उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा यह यूआईडी आवंटित करने के बाद लोगों को उनके पहचान नम्बर आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

आधार परियोजना के तहत 12 अंकों की पहचान संख्या के साथ-साथ बायोमेट्रिक डाटा का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए अंगुलियों के निशानों के साथ-साथ आंखों की पुतलियों का भी स्कैन किया जाएगा। देश की एक अरब से भी अधिक जनसंख्या के लिए इतने बड़े स्तर पर प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष नन्दन निलेकणि की प्रशंसा भी सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री ने की।

उल्लेखनीय है कि 'राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण' की एक वैधानिक इकाई के रूप में रूपान्तरित करने का सरकार का इरादा है। इसके लिए आवश्यक विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में लाए जाने की सम्भावना है। विधेयक के मसौदे को केन्द्रीय मत्रिमण्डल की 24 सितम्बर, 2010 की बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है।

- विशिष्ट पहचान संख्या का नाम आधार कर दिया गया है।
- अक्टूबर, 2012 तक 21 करोड़ लोगों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) दिया जा चुका है।
- 21 करोड़वां आधार कार्ड राजस्थान के उदयपुर जिले के पुरवाडा गांव के 'वाली देवी' को प्रदान किया गया।
- भारत में 6ठी आर्थिक जनगणना की शुरूआत भी वर्ष 2011 में हुई।

अनुसूचित जाति/जनजाति जनगणना 2001

शीर्ष जनुसूचित जाति जनसंख्या वाले तीन राज्य

1. उत्तर प्रदेश
2. पश्चिम बंगाल
3. बिहार

प्रतिशत की दृष्टि से

1. पंजाब
2. हिमाचल प्रदेश
3. पं. बंगाल

शीर्ष अनुसूचितजन जाति वाले तीन राज्य

1. मध्य प्रदेश
2. महाराष्ट्र

Add. 41-42A, Ashok Park Main, New Rohtak Road, New Delhi-110035
+91-9350679141

3. ओडिशा

शहरी-ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना 2011)

- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य (अवरोही क्रम में)
- उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य/सिक्किम
- सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश-दिल्ली
- न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश-लक्षद्वीप

सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य (अवरोही क्रम)

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल

सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले केन्द्रशासित राज्य (अवरोही क्रम)

दिल्ली - चण्डीगढ़ - पुदुचेरी

- न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य - सिक्किम
- नयूनतम शहरी जनसंख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश - लक्षद्वीप
- ग्रामीण जनसंख्या में (2001 से 2011) के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि - मेघालय
- शहरी जनसंख्या में (2001 से 2011) के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि - सिक्किम
- कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत - हिमाचल प्रदेश
- कुल जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत - गोवा
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या - 46

साक्षरता (महिला एवं पुरुष)

अनुसूचित जाति की कुल साक्षरता	54.72:
अनुसूचित जाति की पुरुष साक्षरता	66.60:
अनुसूचित जाति की महिला साक्षरता	41.90:
अनुसूचित जनजाति की कुल साक्षरता	47.1:
अनुसूचित जनजाति की पुरुष साक्षरता	59.1:
अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता	34.8:

भारत के बड़े महानगरों की सूची

1.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	12,478,447
2.	दिल्ली	11,007,835
3.	बंगलुरु (कर्नाटक)	8425970
4.	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	6809970
5.	अहमदाबाद (गुजरात)	5570585
6.	चेन्नई (तमिलनाडु)	4681087
7.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	4,462002
8.	सुरत (गुजरात)	4462002
9.	पुणे (महाराष्ट्र)	3115431
10.	जयपुर	3073350

भारत की भाषायी जनसंख्या

हिन्दी	41.03:
बंगाली	8.11:
तेलुगू	7.19:
मराठी	6.99:
तमिल	5.91:
उर्दू	5.01:
गुजराती	4.48:
कन्नड़	3.69:
मलयालम	3.21:
ओडिया	3.21:
पंजाबी	2.83:
असमिया	1.28:
मैथिली	1.18: